

# चुनाव कार्यक्रम प्रसारण विधि संहिता



ब्रॉडकॉस्टर्स और बीएसए द्वारा विकसित और 1 जुलाई, 2023 से लागू होने के लिए जारी

Broadcasting Standards Authority  
Te Mana Whanonga Kaipāho

Level 2 | 119 Ghuznee Street  
Wellington 6011 | New Zealand

**T:** (04) 382 9508 | **FREEPHONE:** 0800 366 996

**E:** [info@bsa.govt.nz](mailto:info@bsa.govt.nz)

[www.bsa.govt.nz](http://www.bsa.govt.nz)

# परिचय

प्रसारण अधिनियम 1989 में प्रत्येक प्रसारक से यह अपेक्षा की गई है, कि वह अपने कार्यक्रमों और उनके प्रस्तुतिकरण को स्वस्थ विचारधारा और शिष्टता, कानून और व्यवस्था, और निजता के मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

प्रसारण मानक प्राधिकरण (BSA) मानक नियमों को लागू कराने, औपचारिक शिकायतों के समाधान कराने, और प्रसारकों को उपयुक्त प्रसारण विधि संहिता बनाने व पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिम्मेदार है।

चतन वि कियुक्तिर्म समिग्री के प्रसारण को नियमित करने विले महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर देना इस प्रसारण विधि संहिता का उद्देश्य है। किसी भी चतन वि कियुक्तिर्म प्रसारण कियुक्तिर्म प्रसारण मानकों के अनुरूप होने सति निश्चित करने की जिम्मेदारी प्रसारक की है।

न्यूज़ीलैंड अधिकार विधेयक अधिनियम 1990 की धारा 14 के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लोकतांत्रिक समाज में यह एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है और सामान्य चुनाव को देखते हुए यह खासतौर से महत्त्वपूर्ण है जब राजनैतिक दल और उम्मीदवार, मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास करते हैं और जागरूकता से वोट देने के फैसले करने के लिए दर्शक उपयुक्त सूचनाएं चाहते हैं। प्राधिकरण द्वारा शिकायतों पर निर्णय लेते समय इस पर विचार किया जाएगा और न्यूज़ीलैंड अधिकार विधेयक अधिनियम प्रयोग किया जाएगा।

कोई चतन वि कियुक्तिर्म इस संहिता में दिए गए अधिक प्रसारण मानकों के अनुरूप न होने पर सीधे बीएसए से शिकारित की जा सकती है। बीएसए ऐसी शिकायतों पर तत्काल कियुक्तिर्म ही करेगी।

## इस संहिता के बारे में

चतन वि कियुक्तिर्म पर न्यूज़ीलैंड का कियुक्तिर्मों के समा न प्रसारण मानक ला गू होते हैं।

इसलिए, इस संहिता को न्यूज़ीलैंड की प्रसारण मानक संहिता के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह संहिता, प्रसारण मानक प्राधिकरण के पास से मुफ्त उपलब्ध है और इसे [www.bsa.govt.nz](http://www.bsa.govt.nz) से डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसका एक अपवाद है: सार्वजनिक महत्त्व के विवादास्पद मुद्दों पर अनेक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा (इस संहिता में 'संतुलन' का मानक) चुनाव कार्यक्रम पर लागू नहीं होता (प्रसारण अधिनियम की धारा 73 को देखें)।

सा मा न चतन वि कियुक्तिर्मों के विशेष संदर्भों को देखते हैं निष्पक्षता और सटीकता। जससे प्रसारण मानक, तितर रा जनरलिक अभिव्यक्ति और बहस के महत्त्व को सम्म न देते हैं चतन वि कियुक्तिर्म ला गू होंगे।

चतन वि कियुक्तिर्म के बारे में सीधे बीएसए से शिकायतें की जा सकती हैं।

# 'चुनाव कार्यक्रम' क्या है?

## 'चुनाव कार्यक्रम' का अर्थ ऐसे कार्यक्रम से है जो:

- वोटों को किसी पार्टी को वोट देने या एक निर्वाचन उम्मीदवार चुनने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करता है अथवा प्रोत्साहित या प्रेरित करता प्रतीत होता है; अथवा
- वोटों को किसी पार्टी को वोट न देने या एक निर्वाचन उम्मीदवार न चुनने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करता है अथवा प्रोत्साहित या प्रेरित करता प्रतीत होता है; अथवा
- किसी निर्वाचन उम्मीदवार या किसी पार्टी के लिए समर्थन की पेशवा करता है; अथवा
- किसी निर्वाचन उम्मीदवार या किसी राजनैतिक पार्टी का विरोध करता है; अथवा
- किसी चुनाव के संबंध में आयोजित की गई या की जाने वाली बैठकों की सूचना देता है।

(प्रसारण अधिनियम की धारा 69 को देखें)।

चतुनवाकियास्क्रम रवाजनरैवतक पवानटटियों अथिवा ननिवास्चन उमीदिवारों के ललए टेलीविजन यवा रेनडयो पर प्रवाररत छोटे प्चवार/अहभयवान क्लिप यवा विज्वापन/एडिटटोररयल के रूप में हो रकतवा हरै। इन कवायस्क्रमों के बवारे में रीं बीएरए रे सिकवायत की जवा रकती हरै।

अपीलीय न्वायवालय ने स्पष्ट नकयवा हरै नक चतुनवाकियास्क्रम के लीं हैं जो रवाजनरैवतक पवानटटियों अथिवा उमीदिवारों के ललए प्रवाररत नकए जवाते हैं- और प्रवारकों यवा अन् तीरी पवानटटियों की ओर रे प्रवाररत कवायस्क्रम नहीं हैं। (ननिवास्चन आयोग बनवाम विाट् रन एंड जोन्स, CA239/2015 [2016] NZCA 512, 20 अकूबर 2016).

चुनावी मामलों के बारे में अन्य कार्यक्रम (जैसे कि समाचार, टिप्पणी, समसामयिक मामले, मनोरंजन या वृत्तचित्र) चुनाव कार्यक्रम संहिता के अधीन नहीं हैं। हालांकि उनको अन्य उपयुक्त प्रसारण मानकों का पालन करना तब भी अनिवार्य है जो न्यूजीलैंड में प्रसारण मानक संहिता में दिए गए हैं। ऐसे कार्यक्रमों के बारे में शिकायतें पहले प्रसारक से की जानी चाहिए।

'चतुनवाकिया अथ्स प्चतननसियों के रदन के रदसों यवा रदस् के रवामवान् चतुनवाकिया उप-चतुनवारि हरै। स्थवानीय ननकवाय चतुनवाकिया, चतुनवाकिया कवायस्क्रम रंहहतवा में विावमल नहीं हैं।

चतुनवाकियास्क्रम के ली 'चतुनवाकिया' (असिरुचनवा के हदन (सजर हदन चतुनवाकिया घोषणा होती हरै) रे तिरु और मतदवान के हदन रे हपछले हदन के अं त में रमवाप्त होने वाली आसि) के दौरवान ही प्रवाररत नकए जवा रकते हैं।

## अन्य प्रकार के चुनावी विज्ञापन: विज्ञापन मानक पीधिरकण

टेलीविजन और रेडियो के अलावा वीडियो में चत्ता वी विज्ञापन (जैसे कि प्रिंट, बिलबोर्ड, परचे, सिनेमा और ऑनलाइन-सोशल मीडिया सहित), इस संहिता में शा मिल नहीं ।

तीसरी पाटिटियों (अर्थात् जो उमीदवार/राजनैतिक पाटिटियां न हों)

दा रा किसी

मीडिया (टेलीविजन और रेडियो सहित) में चत्ता वी विज्ञापन भी इस संहिता में शा मिल नहीं ।

ऐसे चत्ता वी विज्ञापनों के बारे में शिकायतें, जहां अनतमति हो, विज्ञापन मानक प्राधिकरण से की जानी चाहिए। (संपर्क देखें)

## संपादकीय चुनावी सामग्री: मीडिया काउंसिल

न्यूजीलैंड मीडिया काउंसिल के सदस्यों के प्रकाशनों में संपादकीय सामग्री में चुनावी मामलों के बारे में शिकायतें न्यूजीलैंड मीडिया काउंसिल शिकायत प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती हैं (संपर्क देखें)।

## चुनाव आयोग

चत्ता व काय्क्रम से संबंधित अनपेक्षाओं (प्रसारण अधिनियम के अंतर्गत) अथवा चत्ता वी विज्ञापनों (चत्ता व अधिनियम के अंतर्गत) जैसे कि प्रोमोटर केवक्तयि, वित्तपोषण और प्राधिकार के बारे में शिकायतें या प्रश्न चत्ता व आयोग से की जानी चाहिए (संपर्क देखें)।

चत्ता व संबंधित सामग्री, और शिकायतें किए जाने के बारे में ज्ञानदा जानकारी प्रसारण मानक प्राधिकरण की वेबसाइट ([www.bsa.govt.nz](http://www.bsa.govt.nz)) पर उपलब्ध है।

# औपचारिक शिकायत के आधार

औपचारिक शिकायतें, नीचे दिए गए प्रसारण मानकों में एक या ज्यादा का पालन करने की जिम्मेदारी में प्रसारक की विफलता पर आधारित होती ।

**मानक E1** - अन्य संहिता में शामिल चुनाव कार्यक्रम

**मानक E2** - चतुर्विध कार्यक्रम परस्वी- रिय अथवा पक्षसमर्थन से विशिष्ट तथ्यात्मक जानकारी

**मानक E3** - बदनाम करना

**मानक E4** - प्रतिक्रिया कार्यक्रम

## औपचारिक शिकायत कैसे करें

चुनाव कार्यक्रम के संबंध में औपचारिक शिकायत में निम्न बातें ज़रूरी हैं:

- लिखित में हों
- सारण के बाद 60 कार्यदिवसों के अंदर सीधे बीएसए के यहां प्रस्तुत करें

औपचारिक शिकायत में यह स्पष्ट होना चाहिए:

- कि शिकायत, एक चतुर्विध कार्यक्रम के बारे में औपचारिक शिकायत हर
- कार्यक्रम का नाम
- प्रसारण में शामिल पाटी अथवा उम्मीदवार
- प्रसारण कहाँ से किया गया (उदा. टिशन या चरनल)
- प्रसारण की तारीख और समय
- वह मानक जिसका इस संहिता और/ या न्यूजीलैंड में प्रसारण मानक संहिता के अंतर्गत कथित उल्लंघन हुआ है और उसके क्या कारण थे।

सभी प्रसारण संहिताएं बीएसए के यहां, और इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

जहां शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज कराने के लिए 60 कार्यदिवस दिए जाते हैं, लेकिन **चुनाव कार्यक्रम की प्रकृति को देखते हुए प्रसारण केबाद शिकायत यथासंभव जल्दी से जल्दी दर्ज कराई जानी चाहिए।**

# चुनाव कार्यक्रम संहिता

निम्न मानक, न्यूजीलैंड में सभी चुनाव कार्यक्रम प्रसारणों पर लागू होते हैं।

## मानक

### मानक E1 – अन्य संहिताओं में समरमलित चुनाव कार्यक्रम

सि चन व य रम पर, स जनि मह व मदद पर विविध मह वपण नण फसत रन अपि छ र, अ फस रण विधि स हत ओ सभ सबधित पर वध न लग ह ग

त क बहस, परव और रजनति मत अ भ ति, ए ल तरि सम ज व छन य और अनिव य अ ग ह और इस सद धन रखत हए फस रण म न लग एि जए ग।

### दिशानिर्देश:

E1a इस संहिता में दिए किसी विशेष दिशानिर्देश के अलावा, न्यूजीलैंड कोडबुक में प्रसारण मानकों में दिशानिर्देश और टिप्पणियां, इस मानक E1 के अंतर्गत कार्यक्रमों के मूल्यांकनों पर लागू होंगी।

E1b सटीकता के मानक के तहत मूल्यांकन:

- भावी आचरण के रूप में किए गए वादे (उदा. चुनावी वादे), जो न तो तथ्यपरक कथन न ही राय हों, उनका सटीकता मानक के सापेक्ष मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इन कथनों पर मानक E2 के तहत विचार करना चाहिए। हालांकि तथ्यपरक कथन जिस पर भावी वादा आधारित हो, उस पर सटीकता मानक लागू हो सकता है।
- इस बात का मूल्यांकन कि क्या कोई चुनाव कार्यक्रम कथन वास्तविक तथ्यपरक बिंदु है या भ्रामक है, यह इस पर आधारित होगा कि किस तरह से कोई विवेकपूर्ण दर्शक या श्रोता, चुनाव अभियान के संदर्भ में उसकी व्याख्या करता

है (अर्थात् क्या कोई विवेकपूर्ण दर्शक या श्रोता, कथन की शाब्दिक व्याख्या करता है या पार्टी/उम्मीदवार की नीतियों के पारदर्शीप्रचार के रूप में या किसी विशेष पक्ष में वोट देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में)।

- इस बात का मूल्यांकन कि क्या सटीकता की अपेक्षाएं पूरी की गई हैं, यह प्रत्येक कथन के आधार पर (और फिर पूरे कार्यक्रम के संदर्भ को देखते हुए) किया जाएगा।
- निम्न संदर्भगत चीजें उपयुक्त हो सकती हैं:
  - पैरवी के प्रभाव के लिए कमतर करके या बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाना
  - क्या संबंधित कथन, किसी चुनावी मुद्दे या पार्टी की नीति से संबंधित है जिसके बारे में दर्शकों या श्रोताओं का तार्किक रूप से जानना अपेक्षित हो सकता हो (बहकाने की संभावना कम करते हुए)।

### मानक E2 – चुनाव कार्यक्रम पैरवी- राय या पैरवी से विशिष्ट तथ्यपरक जानकारी

चुनाव कार्यक्रम में बहस, पैरवी और राय शामिल हो सकते हैं, लेकिन तथ्यपरक जानकारी, राय या पैरवी से स्पष्ट अलग तरह की होनी चाहिए।

तथ्यपरक जानकारी सत्यापन योग्य होनी आवश्यक है।

### दिशानिर्देश:

- E2a तथ्यपरक जानकारी के पक्ष में साक्ष्य (उदा. अकादमिक अध्ययन, विशेषज्ञ की राय) उपयुक्त और ठोस होने चाहिए और आसानी से उपलब्ध और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए।
- E2b किसी पार्टी या उम्मीदवार के वादों का प्रचार करने वाले चुनावी विज्ञापन, अपनी विशेष उच्च राजनैतिक प्रकृति के कारण प्रायः पैरवी के लिए तथ्यपरक जानकारी के बजाय अतिशयोक्तिपूर्ण उपायों का सहारा लेते हैं (और प्रायः इस रूप में आसानी से पहचाने जा सकते हैं)।

E2c इस मानक के पालन का मूल्यांकन प्रत्येक कथन के आधार पर (और फिर पूरे कार्यक्रम के संदर्भ को देखते हुए) किया जाएगा।

E2d इस बात का मूल्यांकन कि कोई कथन तथ्यपरक जानकारी या राय या पैरवी में से किस रूप में स्पष्ट पहचानयोग्य है, इसमें निम्न पर विचार किया जा सकता है:

- कार्यक्रम का संदर्भ और प्रस्तुतिकरण (लहजा सहित)
- कथन की शुद्धता (सटीक शब्दावली)
- क्या कथन को सही या गलत प्रमाणित किया जा सकता है (तथ्य) या विवादास्पद है या किसी का दृष्टिकोण (राय या पैरवी) है
- कोई विवेकपूर्ण दर्शक या श्रोता इसे किस प्रकार समझेगा
- कार्यक्रम में प्रचारित पार्टी/उम्मीदवार की राजनैतिक पहचान, प्रतिष्ठा और नीतियां
- क्या कथन को तर्कसंगत रूप से राजनैतिक राय या पैरवी की अभिव्यक्ति माना जा सकता है जो किसी पार्टी/उम्मीदवार को वोट देने हेतु वोटों को प्रेरित करने के लिए की गई हो।
- क्या उस विशेष बिंदु की अन्य महत्वपूर्ण कवरेज की गई (उदा. टेलीविजन, रेडियो या अन्य प्लेटफार्म) जिसके माध्यम से दर्शकों या श्रोताओं का उनके वोट देने का फैसला करने के बारे में दूसरे मतों और राय से अवगत होना तर्कसंगत रूप से अपेक्षित हो सकता हो।

### मानक E3 – बदनाम करना

जहां कोई चुनाव कार्यक्रम किसी राजनैतिक पार्टी अथवा उम्मीदवार का विरोध कर सकता है, वहीं वह ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो किसी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार को बदनाम करती हों

#### दिशानिर्देश:

E3a “बदनाम करना” को किसी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार की प्रतिष्ठा गिराने के रूप में परिभाषित किया गया है।

E3b सामान्य चुनाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में उच्चस्तरीय निंदा का प्रयोग किया जाता है, प्रायः जिसमें दुर्भावना और नीचा दिखाने का भाव होता है, मानक के विपरीत साबित करने के लिए यह सिद्ध करना अनिवार्य होगा कि प्रसारण में किसी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार को बदनाम किया गया है।

E3c यह मानक ऐसी सामग्री का प्रसारण रोकने के लिए नहीं है जो:

- तथ्यपरक हो
- किसी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार हेतु गंभीर टिप्पणी, विश्लेषण, राय या पैरवी की वास्तविक अभिव्यक्ति हो
- मान्य हास्य या व्यंग्य हो

### मानक E4 – भ्रामक कार्यक्रम

कोई चुनाव कार्यक्रम किसी मौजूदा कार्यक्रम, प्रारूप अथवा मशहूर हस्ती की इस प्रकार नकल नहीं कर सकता जिससे भ्रामकता की संभावना हो

#### दिशानिर्देश:

E4a इसका मूल्यांकन, कि क्या किसी चुनाव कार्यक्रम ने किसी मौजूदा कार्यक्रम, प्रारूप अथवा मशहूर हस्ती की इस प्रकार नकल की है कि जिससे भ्रामकता की संभावना हो, यह इस पर आधारित होगा कि किस तरह से कोई विवेकपूर्ण दर्शक या श्रोता, इसकी व्याख्या करता है (अर्थात क्या कोई विवेकपूर्ण दर्शक या श्रोता इसे समझता है कि वह चुनावी विज्ञापन देख रहा है जिसमें किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार का प्रचार किया जा रहा है)।

E4b इस मानक के तहत कार्यक्रमों के मूल्यांकन में, निम्न पर विचार किया जाएगा, जहां उपयुक्त हो

- किसी नकल की प्रकृति और सीमा
- क्या कार्यक्रम में पार्टी/उम्मीदवार के बैनर, नारे, विज्ञापन, या ऐसी ही अन्य पहचानयोग्य सामग्रियों को शामिल किया गया।

### सभी मानकों पर लागू दिशानिर्देश:

G1a इस चुनाव कार्यक्रम प्रसारण विधि संहिता के तहत शिकायतों का आकलन, सामान्य चुनाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विशेष महत्त्व को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। चुनाव में राजनैतिक भाषण को दिए गए उच्च महत्त्व को देखते हुए, इस संहिता के तहत चुनाव कार्यक्रम द्वारा कोई मानक भंग किया जाना सिद्ध करने के लिए एक सुसंगत उच्च सीमा अवश्य पार की जानी चाहिए (अर्थात कार्यक्रम से उत्पन्न नुकसान या संभावित नुकसान गंभीर अवश्य होना चाहिए)।

# संपर्क

## चुनाव कार्यक्रम शिकायतें

### Broadcasting Standards Authority

पो. बॉक्स 9213  
वेलिंगटन 6141  
फोन: (04) 382 9508  
फ्रीफोन: 0800 366 996  
ईमेल: info@bsa.govt.nz  
वेब: www.bsa.govt.nz

## चुनाव विज्ञापन शिकायतें

### Advertising Standards Authority

पो. बॉक्स 10 675  
वेलिंगटन 6143  
फोन: (04) 472 7852  
फ्रीफोन: 0800 234 357  
ईमेल: asa@asa.co.nz  
वेब: www.asa.co.nz

## संपादकीय सामग्री शिकायतें

### New Zealand Media Council

पो. बॉक्स 10 879  
वेलिंगटन 6011  
फोन: (04) 473 5220  
फ्रीफोन: 0800 969 357  
ईमेल: info@mediacouncil.org.nz  
वेब: www.mediacouncil.org.nz

## अन्य चुनावी जानकारी

### Electoral Commission

पो. बॉक्स 3220  
वेलिंगटन 6140  
फोन: (04) 495 0030  
ईमेल: enquiries@elections.govt.nz  
वेब: www.elections.nz